मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2652
17.03.2025 को उत्तर के लिए

वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करना

2652. श्री राहुल कस्वां :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;
(ख) यदि हां, तो राजस्थान सहित राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने तथा विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों से गांवों को स्वैच्छिक रूप से स्थानांतरित करने के लिए वन भूमि को आरक्षित श्रेणी से हटाने/अपवर्तित करने हेतु केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 28 जनवरी, 2019 के आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार गांवों के स्थानांतरण के लिए दिनांक 29.12.2023 के समेकित दिशा-निर्देशों और स्पष्टीकरणों के अध्याय 12 के पैरा 12.8 और 12.9 के तहत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो कुछ शर्तों के अध्यधीन कोर/महत्वपूर्ण बाघ रिजर्वों और संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों) के मुख्य क्षेत्र से आरक्षित वन/अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों की परिधि में गांवों के स्थानांतरण/पुनर्वास के संबंध में हैं।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदन की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त पूर्ण प्रस्तावों पर प्रासंगिक नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्व अनुमोदन के लिए विचार किया जाता है तथा बिना स्पष्टता वाले अपूर्ण प्रस्तावों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को पूरा करने/पुनः प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत ऐसे प्रस्तावों का विवरण परिवेश पोर्टल (www.parivesh.nic.in) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिसमें ऐसे प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति को भी दर्शाया गया है।

*****